अध्याय III
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

3.1 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243क्यू से 243जेडजी के माध्यम से नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को पेश किया। राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (आरएमए) अधिनियमित किया और तत्कालीन मौजूदा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 को निरस्त कर दिया। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधानों से सम्बंधित प्रावधानों को तालिका 3.1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 3.1: राज्य स्तरीय विधानों के साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की तुलना

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का प्रावधान
अनुच्छेद 243क्यू	**नगर पालिकाओं का गठन:** इसमें तीन प्रकार की नगर पालिकाओं अर्थात माध्यमिक क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका मंडल, एक छोटे शहर के लिए एक नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम के गठन का प्रावधान है।	आरएमए की धारा 5
अनुच्छेद 243आर	**नगर पालिकाओं की संरचना:** नगर पालिका की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव और नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, शहर के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत, राज्य परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं संसद सदस्यों को नगरपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।	आरएमए की धारा 6
अनुच्छेद 243एस	**वार्ड समिति का गठन और संरचना:** इसमें 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाली सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है।	आरएमए की धारा 54
अनुच्छेद 243टी	**सीटों का आरक्षण:** प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने वाली सीटें।	आरएमए की धारा 6 (3-5,8) 21 और 43
अनुच्छेद 243यू	**नगरपालिकाओं की अवधि:** नगरपालिका की पहली बैठक की तारीख से 5 साल का स्थायी कार्यकाल होता है और कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने के भीतर फिर से चुनाव होते है।	आरएमए की धारा 7

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का प्रावधान
अनुच्छेद 243वी	**सदस्यता के लिए अयोग्यतायें:** नगर पालिका के सदस्य के लिए एक व्यक्ति अयोग्य घोषित होगा: • यदि वह संबंधित राज्य की विधायिका के चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। • यदि वह राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया है।	आरएमए की धारा 24 और 35
अनुच्छेद 243डब्ल्यू	**नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व:** सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त बनाया जाएगा जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। राज्य सरकार उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार सौंपेगी जिससे वे 12वीं अनुसूची के संबंध में जिम्मेदारियों को निभा सके।	आरएमए की धारा 89, 103, 104 और 257
अनुच्छेद 243एक्स	**नगरपालिकाओं की निधियां और उनके द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति:** • नगरपालिकाओं को करों, फीस व शुल्क आदि को लगाने और एकत्र करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। • राज्य से नगर पालिकाओं को अनुदान-सहायता दी जाएगी। • नगरपालिकाओं द्वारा राशि जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन।	आरएमए की धारा 101 से 106
अनुच्छेद 243वाई अनुच्छेद 243आई साथ पढ़े	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार निम्न के लिये वित्त आयोग का गठन करेगी: • नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे कदम उठाना जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद करते हैं • राज्य और नगर पालिकाओं के बीच राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों, फीस, टोल और शुल्कों की निवल प्राप्ति का वितरण करना। • राज्यों की संचित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियों का आवंटन।	आरएमए की धारा 76 और 77
अनुच्छेद 243जेड	**नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा:** इसमें नगरपालिकाओं द्वारा लेखों का संधारण एवं ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।	आरएमए की धारा 90 और 94
अनुच्छेद 243जेडए अनुच्छेद 243के साथ पढ़े	**नगरपालिकाओं के चुनाव:** नगरपालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रियाओं का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) में निहित होगा।	आरएमए की धारा 11
अनुच्छेद 243 जेडडी	**जिला योजना के लिए समिति:** • जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। • जिला योजना समिति की संरचना।	आरएमए की धारा 158

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का प्रावधान
	• विकास योजना का मसौदा तैयार करना और सरकार को प्रस्तुत करना	
अनुच्छेद 243जेडई	**महानगरीय योजना के लिए समिति:** 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति (एमपीसी) के गठन का प्रावधान, ताकि पूरे महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जा सके।	आरएमए की धारा 157

स्रोत: *राजस्थान नगर अधिनियम, 2009 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम*

राज्य सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया और राजस्थान नगर अधिनियम 2009 में कानूनी प्रावधान किए। हालांकि, कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। ये कानूनी प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सार के अनुसार निर्णायक कार्यवाही द्वारा समर्थित नहीं थे। प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण से संबंधित कमियों की चर्चा आगे के अध्याय में की गई है।